उजागर सिंह (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा

बनाम

कलेक्टर, भटिंडा और अन्य

1 अगस्त, 1996

[न्यायमूर्तिगण कुलदीप सिंह, एम0 एम0 पुंछी, एन0 पी0 सिंह, एम0 के0 मुखर्जी और एस0 सगीर अहमद]

भूमि विधिः

उच्चतम भूमि सीमा पेप्सू किरायेदारी भूमि कृषि भूमि अधिनियम 1955 (पेप्सू अधिनियम) पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (पंजाब अधिनियम) पेप्सू अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की अधिशेष भूमि की सरकारी घोषणा - सरकार द्वारा नहीं ली गई। भूमि का कब्ज़ा - अपीलकर्ता ने कब्ज़ा जारी रखा, सरकार ने इसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की पेप्सू अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष भूमि पर कब्जा करने के लिए पंजाब अधिनियम के तहत अपीलकर्ता - बीच की अवधि में उनके चार बेटे हुए - सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा न लेने की स्थिति में, भूमि निहित नहीं हुई और भूमि में अपीलकर्ता के अधिकार, स्वामित्व और हित कभी समाप्त नहीं हुए, अपीलकर्ता और उसके चार बेटों द्वारा रखी गई अधिशेष भूमि के प्रश्न की नए सिरे से जांच करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मूल अपीलकर्ता के पास भूमि थी जिसमें से 218 कनाल भूमि को पेप्सू किरायेदारी कृषि भूमि अधिनियम, 1955 (पेप्सू अधिनियम) के तहत अधिशेष घोषित किया गया था। पेप्सू अधिनियम की धारा 32 ई (ए) के तहत, अधिशेष क्षेत्र की तारीख होगी जिस पर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया है, उसे राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया माना जाएगा और ऐसी भूमि पर सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, स्वामित्व और हित उनमें निहित हो जाएंगे। राज्य सरकार बाधाओं से मुक्त है।

मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता की भूमि, जिसे पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, सरकार द्वारा नहीं ली गई थी। वे अपीलकर्ता के कब्जे में रहे। जब पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 लागू हुआ, तो अपीलकर्ता द्वारा रखी गई भूमि को अधिशेष घोषित करने के लिए नए कदम उठाए गए। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए आपत्ति दायर की कि प्रासंगिक तिथि पर उसके चार बेटे थे और इस प्रकार उसके पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी। पंजाब अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत अपीलकर्ता को संपत्ति सौंपने का निर्देश देते हुए कार्यवाही शुरू की गई।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टस् [1996] एसयूपीपी. 4 एस.सी.आर.

पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि की घोषणा की गई। अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने रिट याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

अतः यह अपील किसी भी राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि इसे अर्जित माना जाएगा और ऐसी भूमि से संबंधित व्यक्ति के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान मामले में, सरकार द्वारा या उसकी ओर से कब्ज़ा कभी नहीं लिया गया था। [243-ई; 247-ए]

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य और अन्य। वी. श्रीमती केला देवी और अन्य, [1980] 1 एससीसी 77 और रंजीत राम बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब और अन्य, (1981) 83 पी.एल.आर. 492 का उल्लेख है।

अमर सिंह बनाम अजमेर सिंह, [1994] 3 पूरक। एससीसी 213 अनुपयुक्त
जब पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 लागू हुआ तो अपीलकर्ता के चार बेटे थे और यदि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीलिंग नए सिरे से तय की जाती है, तो अपीलकर्ता के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है। [243-एच; 244-ए]

अपीलकर्ता और उसके चार बेटों के पास मौजूद अतिरिक्त भूमि के सवाल की जांच करने के लिए सरकार को कोई निर्देश जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। [247-ई]एफ

अपीलकर्ता के खिलाफ पेप्सू अधिनियम के प्रावधानों या पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। [247-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1975 की सिविल अपील संख्या 1208 आदि।

सी.डब्ल्यू.पी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 3.9.74 के निर्णय और आदेश से। 1974 का क्रमांक 468

एम.एल..वर्मा, डी.वी. सहगल, जीतेन्द्र शर्मा, वी.सी. महाजन, ध्रुव मेहता, विमल दवे, आर.एस. सोढ़ी, मनोज स्वरूप, सुश्री ललिता कोहली, जी.के. एच बंसल, टी.एस. अरोड़ा, सुश्री नरेश बख्शी, पी.एन. पुरी, सुश्री जी. दारा, बी.के. पाल,

पी. महाले, प्रेम मल्होत्रा, पीयूष, सुश्री कामिनी जयसवाल, पंकज कालरा, एस.के. मेहता, फज़लिन अनम, एस. श्रीनिवासन, सुश्री इंदु मल्होत्रा, आर.सी. पाठक, के.के. गुप्ता, ए.के. महाजन, के.के. गुप्ता, एच.एम. सिंह, संजीव मल्होत्रा, गौरव जैन, सुश्री आभा जैन, अनिल के. चोपड़ा, गुडविल इंदीवर, आर.के. तलवार, पी.एन. पुरी, सुश्री उर्मीला सिरुर, सी.एन. श्रीकुमार, सतीश विग, के.एल. तनेजा, एन.डी. गर्ग, एस.एम. उपस्थित पक्षों के लिए अश्री और श्रीमती एस. बग्गा।

न्यायालय का निर्णय बीसीएन.पी. द्वारा सुनाया गया।

सिंह, जे. मूल अपीलकर्ता के पास ग्राम गुरु सर सैनवाला, जिला भटिंडा में भूमि थी। जिसमें से 218 कनाल भूमि को पेप्सू किरायेदारी कृषि भूमि अधिनियम, 1955 (इसके बाद पेप्सू अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत अधिशेष घोषित किया गया था। हालाँकि, इस प्रकार घोषित अधिशेष भूमि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा कभी नहीं किया गया और अपीलकर्ता के कब्जे में रही।

पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (इसके बाद पंजाब अधिनियम के रूप में संदर्भित) 2 अप्रैल, 1973 से लागू हुआ। अधिनियम के तहत नियत तिथि 24 जनवरी, 1971 निर्धारित की गई। अपीलकर्ता द्वारा धारित भूमि को अधिशेष घोषित करने के लिए नए कदम उठाए गए। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि प्रासंगिक तिथि पर उसके चार वयस्क बेटे थे, हरदयाल सिंह, गुरुचरण सिंह, गुरबंता सिंह और गुरदयाल सिंह और इस तरह उसके पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग के सचिव ने जिले के कलेक्टर को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि पेप्सू अधिनियम के तहत वर्ष 1961-62 में अधिशेष घोषित की गई 218 कनाल भूमि पर तत्काल कब्ज़ा किया जाए। अपीलकर्ता को पुराने अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष भूमि का कब्ज़ा सौंपने का निर्देश देते हुए पंजाब अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई। इसके बाद अपीलकर्ता की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें पुराने पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित की गई भूमि पर कब्जा करने और उस पर कब्जा करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए उक्त याचिका के प्रतिवादियों की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया गया। पंजाब अधिनियम के लागू होने की तिथि तक नहीं लिया गया। रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने 3.9.1974 को तत्काल खारिज कर दिया था। हालाँकि, इस न्यायालय ने वर्तमान अपील को जन्म देते हुए अपील की अनुमति दे दी, जिसे उचित

समय पर संविधान पीठ को भेज दिया गया है। पेप्सू अधिनियम की ईएफजीधारा 3 में भूमि रखने की अनुमेय सीमा तीस मानक एकड़ तय की गई है। धारा 3 की उपधारा (2) में प्रावधान किया गया है।

धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अनुमेय सीमा की गणना करने की एक प्रक्रिया। धारा 5 के मद्देनजर प्रत्येक भूस्वामी जिसके पास तीस मानक एकड़ से अधिक भूमि है, वह भूस्वामी के रूप में अपने पास मौजूद भूमि में से व्यक्तिगत खेती के लिए चयन करने का हकदार था। उसकी व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित रखा जाए। धारा 6 में कलेक्टर को पूर्वोक्त धारा 5 के तहत संबंधित भूमि मालिक की व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित सभी भूमि के विवरण को ऐसे रूप और तरीके से सूचित करने की आवश्यकता होती है, जो निर्धारित किया जा सकता है। धारा 32-ई जो प्रासंगिक है, प्रदान करती है। बीसी"32-ई।

अधिशेष क्षेत्र का राज्य सरकार में निहित होना। - किसी भी कानून, प्रथा या उस समय लागू प्रथा में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, और इसके अधीन अध्याय IV के प्रावधान उस तारीख के बाद जब किसी भूस्वामी या किरायेदार के संबंध में अंतिम विवरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो -(ए) एक भूस्वामी के अधिशेष क्षेत्र के मामले में, या के मामले में किसी किरायेदार का अधिशेष क्षेत्र जो भूस्वामी की अनुमेय सीमा के भीतर शामिल नहीं है, ऐसा क्षेत्र, जिस तारीख को उस पर राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से कब्जा लिया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया माना जाएगा सार्वजनिक उद्देश्य और ऐसी भूमि में सभी व्यक्तियों के वर्तमान में लागू किसी भी कानून, प्रथा या उपयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, आकस्मिक हित सहित, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे अधिकार, शीर्षक और हित उसी में निहित होंगे राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बाधाओं से मुक्त।

(बी) एक किरायेदार के अधिशेष क्षेत्र के मामले में जो भूमि मालिक की अनुमेय सीमा के भीतर शामिल है, ऐसे क्षेत्र में किरायेदार का अधिकार और हित समाप्त हो जाएगा।

जो बशर्ते कि, खंड के प्रयोजनों के लिए (ए), जहां अधिशेष क्षेत्र के भीतर आने वाली कोई भी भूमि कब्जे के साथ गिरवी रखी जाती है। केवल बंधक अधिकार राज्य सरकार में निहित होंगे।"

धारा 32-एफ ने कलेक्टर को इस प्रकार घोषित अधिशेष क्षेत्र का कब्ज़ा लेने में सक्षम बनाया।

एच 32.एफ। अधिशेष क्षेत्र का कब्ज़ा लेने की शक्ति। - (1) कलेक्टर-

जो लिखित आदेश द्वारा, उस तारीख के बाद किसी भी समय, जिस दिन किसी भूस्वामी या किरायेदार के संबंध में अंतिम विवरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होता है, भूस्वामी या किरायेदार या उसके कब्जे वाले किसी अन्य व्यक्ति को दस दिनों के भीतर निर्देशित कर सकता है। उस पर आदेश की तामील ऐसे व्यक्ति को की जाए जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बी(2) यदि भूमि मालिक या किरायेदार या अधिशेष क्षेत्र पर कब्जा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उचित कारण के बिना दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है उप-धारा (1), कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

सीडी उपरोक्त धारा 32 ई के खंड (ए) को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई भूस्वामी का अधिशेष क्षेत्र जो ऐसे भूस्वामी की अनुमेय सीमा के भीतर शामिल नहीं है, ऐसा क्षेत्र, जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से पारित किया जाता है, उस दिन राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया गया माना जाएगा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए और ऐसी भूमि पर सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाएंगे और ऐसे अधिकार शीर्षक और हित राज्य सरकार में बाधा से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में, जब अधिशेष क्षेत्र घोषित की गई भूमि का कब्ज़ा राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाता है, तभी यह माना जाएगा कि ऐसा अधिशेष क्षेत्र राज्य द्वारा अर्जित कर लिया गया है। सरकार और ऐसी भूमि पर संबंधित व्यक्ति के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाते हैं और राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं। इस प्रकार, यदि भूस्वामी के किसी अधिशेष क्षेत्र का कब्जा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से नहीं लिया गया है, तो यह नहीं माना जाएगा कि ऐसे अधिशेष क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया है और भूमिस्वामी का स्वामित्व समाप्त हो गया है।

ई.एफ अपीलकर्ता का रुख क्या यह स्वीकार की गई स्थिति के मद्देनजर है कि पेप्सू अधिनियम के तहत 1961-62 में अधिशेष घोषित की गई भूमि का कब्ज़ा वर्ष 1973 में पंजाब अधिनियम वर्ष लागू होने तक कभी नहीं लिया गया था और जैसा कि अपीलकर्ता ने जारी रखा था पंजाब अधिनियम के लागू होने के बाद, प्रतिवादी

प्राधिकारी या राज्य सरकार ऐसे अधिशेष क्षेत्र पर कब्जा करने की हकदार नहीं थी और पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा को नए सिरे से निर्धारित किया जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ

इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब पंजाब अधिनियम लागू हुआ, तो अपीलकर्ता के चार वयस्क बेटे थे और यदि पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा नए सिरे से तय की जाती है, तो अपीलकर्ता के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि पंजाब राज्य यह नहीं बता सका कि इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि पेप्सू अधिनियम के तहत वर्ष 1961-62 में कुछ क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया था, उसका कब्ज़ा राज्य द्वारा या उसकी ओर से नहीं लिया गया था। सरकार ने पंजाब एक्ट के लागू होने तक पेप्सू एक्ट के तहत अधिशेष घोषित की गई भूमि पर अपीलकर्ता का अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त कर दिया था। कब्ज़ा लेना सी आवश्यक था, जिसके अभाव में यह माना जाएगा कि अपीलकर्ता का अधिकार, शीर्षक और हित कभी समाप्त नहीं हुआ था और उक्त भूमि जिसे अधिशेष घोषित किया गया था वह कभी भी राज्य में निहित नहीं हुई थी; पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा निर्धारण के लिए नए कदम उठाए जाने थे।

ऐसा ही विवाद वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में भी उठा था। धारा 10-ए राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी भी अधिकारी को किसी भी अधिशेष का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के तहत बेदखल किए गए या बेदखल किए जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए क्षेत्र। इस संबंध में कहा गया था।

धारा 10-ए के प्रावधानों के पूर्ण अर्थ और प्रभाव को समझने के लिए, नियम 18, 20-ए, 20-बी का क्रॉस-रेफरेंस बनाना आवश्यक है। और पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा नियम, 1956 (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के 20-सी। नियम 18 अन्य पुनर्वासित किरायेदारों को "अतिरिक्त क्षेत्र" के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 20-ए के मुद्दे का प्रावधान है उन्हें भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र, और नियम 20-बी कब्जे की डिलीवरी का प्रावधान करता है और पुनर्वासित किरायेदार के लिए उसे आवंटित भूमि पर दो महीने की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर कब्जा लेना अनिवार्य बनाता है जो अनुमति दी जा सकती है। संबंधित अधिकारी। नियम 20-सी, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पुनर्वासित किरायेदार द्वारा 'क्यूबुलियत' या 'पट्टा'

के निष्पादन के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि भूमि का आवंटन "अधिशेष क्षेत्रों" के उपयोग की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण है, लेकिन यह इसे पूरा नहीं करता है।

उजागर सिंह बनाम कलेक्टर, भटिंडा [एन०पी०सिंह, जे०]

प्रक्रिया क्योंकि आवंटी के लिए आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि का कब्ज़ा लेना और उसके संबंध में "क़ाबुलियत" या "पट्टा" निष्पादित करना आवश्यक है।

इसलिए अधिनियम की धारा 10-ए द्वारा विचारित उपयोग की प्रक्रिया किसी भी "अतिरिक्त क्षेत्र" के संबंध में तभी पूरी होती है, जब उसका कब्जा आवंटी या आवंटियों द्वारा ले लिया गया हो और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों, और वहां इस तर्क में कोई दम नहीं है कि महज आवंटन के आदेश से उस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रभाव पड़ता है।" उपरोक्त अधिनियम की धारा 10-ए के दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने बताया कि भूमि का आवंटन उपयोग की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण था। अधिशेष क्षेत्र और इस तरह का उपयोग तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि आवंटी ने आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया और इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि पर कब्जा नहीं कर लिया। यह बताया गया कि उपयोग की प्रक्रिया उक्त की धारा 10-ए के तहत विचार की गई है किसी भी "अधिशेष क्षेत्र" के संबंध में अधिनियम तभी पूर्ण था जब आवंटी द्वारा उस पर कब्जा ले लिया गया था और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं - केवल आवंटन के आदेश से उपयोग की प्रक्रिया पूरी होने का कोई सवाल ही नहीं था। धारा 32-ई (ए) के मद्देनजर पेप्सू अधिनियम के संबंध में भी यही स्थिति थी। जब तक राज्य सरकार या उसकी ओर से अधिशेष क्षेत्र का कब्ज़ा नहीं ले लिया जाता, भूस्वामी का अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त नहीं होता था और ऐसा अधिशेष कभी भी राज्य सरकार में निहित नहीं होता था। रंजीत रेम बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब और अन्य, (1981) 83 पीएलआर के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। 492

"जैसा कि पहले ही देखा गया है, भले ही किसी भूमि मालिक की भूमि को पंजाब कानून के तहत या पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित किया गया हो, और यदि भूमि मालिक की भूमि का उपयोग नहीं किया गया है और आगे नहीं किया गया है पंजाब कानून के मामले में किरायेदारों द्वारा खरीदा गया है, और यदि भूमि-मालिक को पेप्सू कानून के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा बेदखल नहीं किया गया है, तो वह भूमि का भूस्वामी बना रहता है और अपनी भूमि होने पर भी उसी पर कब्जा रखता

है। अधिशेष घोषित किया गया है, जब तक कि वह सुधार अधिनियम की धारा 8 के तहत भूमि पर कब्ज़ा करके उसके स्वामित्व से वंचित नहीं हो जाता है, जहां यह प्रावधान किया गया है कि अधिशेष क्षेत्र को पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत घोषित किया गया है जो कि नहीं किया गया है सुधार अधिनियम के प्रारंभ होने तक उपयोग किया जाएगा।

तारीख या वह तारीख जिस पर राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओरसे कब्जा लिया जाता है। सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाता है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि ऐसे भूमि मालिकों का अधिशेष क्षेत्र सुधार अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार में निहित होगा और तब तक भूस्वामियों को अधिशेष भूमि के स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यदि कोई भू स्वामी सुधार अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत परिभाषित अनुमेय क्षेत्र से परे भूमि का मालिक है या रखता है। तो उसके मामले को कलेक्टर द्वारा फिर से संसाधित करना होगा और अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष का निर्धारण करना होगा। क्षेत्र सुधार अधिनियम की धारा 4 और 5 के आदेश के अनुसार होना चाहिए। सुधार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 में स्पष्ट प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का स्वामित्व या धारण नहीं करेगा और जब मामले को क्लेक्टर द्वारा फिर से संसाधित किया जाता है तो अनुमेय क्षेत्र जैसा कि प्रदान किया गया है। सुधार अधिनियम की धारा 4 और 5 की अनुमति भूस्वामी को देनी होगी। यह देखा जा सकता है कि सुधार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत परिभाषित अनुमेय क्षेत्र सुधार अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुधार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सुधार अधिनियम की धारा 5 के तहत यदि किसी भूस्वामी का एक वयस्क पुत्र है तो वह शर्तों के अधीन अपने स्वामित्व वाली या धारित भूमि में से ऐसे पुत्र के सम्बन्ध में अलग अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का भी हकदार होगा। कि ऐसे पुत्र के पहले से स्वामित्व या धारित भूमि के साथ चयनित भूमि ऐसे प्रत्येक पुत्र के अनुमेय क्षेत्र से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि केवल इसलिए कि भूमि मालिक का मामला पहले ही पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत संसाधित हो चुका है। सुधार अधिनियम की धारा 5 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4 के प्रावधानों को लागू करने में बाधा नहीं होगी। सुधार अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के प्रावधान भूस्वामी को परिवार के अनुमेय क्षेत्र के अतिरिक्त उसके स्वामित्व वाली या उसके पास मौजूद भूमि में से इस वयस्क बेटे के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का अधिकार देते हैं। यह स्पष्ट है कि सुधार अधिनियम की धारा 5 की उपधारा‍ओं 1 और 2 में किए गए बाकी प्रावधान प्रक्रियात्मक है।

उपरोक्त निर्ण पंजाब कानून पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम 1953 को संदर्भित करता है। पेप्सू कानून पेप्सू एच किरायेदारी कृषि भूमि अधिनियम,1955 को संदर्भित करता है और सुधार अधिनियम पंजाब को संदर्भित करता है।

9

उजागर सिंह बनाम कलेक्टर, भटिंडा [एन०पी०सिंह, जे०]

भूमि सुधार अधिनियम,1972 हमारे अनुसार पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले ने ऊपर उल्लिखित तीन अधिनियमों के दायरे की सही सराहना की है। एक बार जब पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित भूमि राज्य सरकार में निहित नहीं हो गई, क्योंकि उस पर कब्जा नहीं लिया गया था, तो उस क्षेत्र के संबंध में एक नया निर्धारण करना होगा। जिसे अपीलकर्ता के प्रकाश में रखने का हकदार है।

राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने यह रूख नहीं अपनाया कि पंजाब अधिनियम के तहत अपीलकर्ता के पास कोई अधिशेष क्षेत्र है। हालांकि उन्होंने अमर सिंह बनाम अजमेर सिंह,1994 सप्लिमेंट के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। एससीसी 213 जहां यह कहा गया है कि केवल इसलिए कि भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और भूमि मालिक के उत्तराधिकारियों के कब्जे में रहा, अप्रसांगिक था। इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम,1972 से सम्बन्धित है, जो पहले से लागू हुआ। उपरोक्त निर्णय के केवल संदर्भ से यह प्रतीत होगा कि इसके तहत निहितीकरण नियत तिथि पर होता है। उस अधिनियम के तहत पेप्सू अधिनियम के 32 ई० जैसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अपीलकर्ता के सम्बन्ध में अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया था। इस प्रकार अमर सिंह बनाम अजमेर सिंह के मामले में उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी राज्य के लिए कोई मदद नहीं है। सामान्य तौर पर हम प्रतिवादी राज्य को पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता और उसके चार वयस्क पुत्रों द्वारा धारित अतिरिक्त भूमि के प्रश्न की जांच करने का निर्देश देते, लेकिन एक स्वीकृत स्थिति के मद्देनजर यदि पंजाब अधिनियम के तहत एक नई कार्यवाही शुरू की जानी है। किसी भी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा कोई भी निर्देश जारी करके उपयोगी उद्देश्य पूरा किया जाएगा। तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ पेप्सू अधिनियम या पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। मामले के तथ्य और परिस्थितियों में लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

सिविल अपील 1209/1975 में भी अपीलकर्ताओं द्वारा रखी गई भूमि को वर्ष 1961-62 में पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उस पर कब्जा नहीं लिया गया था। पंजाब अधिनियम लागू होने तक अपीलकर्ताओं का उस पर कब्जा बना रहा।

अपीलकर्ता का दावा है कि अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के लिए पंजाब अधिनियम के तहत नई कार्यवाही शुरू करने से पहले जो सदस्य पेप्सू अधिनियम के तहत भूमि रखने के हकदार नहीं थे, वे सीमा कम होने पर भी इसे रखने के हकदार हो गए। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई विवाद हुआ है। मामले को देखते हुए हम पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले को नई सिरे से जांच के लिए भेजना आवश्यक नहीं मानते हैं। तद्नुसार यह अपील भी स्वीकार की जाती है। लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

उपरोक्त सभी मामलों को एलआरएस द्वारा उजागर सिंह मृत के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अंतिम निपटान के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

तद्नुसार, इन परिस्थितियों में अपील स्वीकार की गई।

अपील स्वीकार।